न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 152/2014

1. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री केसरीलाल जाति जैन निवासी जलोदा तेजाजी
2. पदमचंद पुत्र केसरीलाल जाति जैन निवासी जलोदा तेजाजी हाल मुकाम प्लाट नं0 222 स्कीम संख्या 10 बी गोपालपुरा बाई पास रोड जयपुर

...वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजित कुमार जैन
दायरा दिनांक: 08.10.2014

निर्णय दिनांक : 09.07.2018

वादी ने जर्ये अधिवक्ता एवं वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 पेश कर कथन किया कि ग्राम जमांबदी सम्वत 2069–72 में खाता संख्या 278 नया पुराना 253 की खसरा नं0 513 की 0.4 है0, खसरा नं0 514 की 0.7 है0 515 की 0.5 है0 कुल किता 3 रकबा 0.16 है0 केसरीलाल पुत्र घांसीलाल जाति जैन निवासी जलोदा तेजाजी के नाम गै0 खातेदार कृषक दर्ज चली आ रही है। केसरीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। केसरीलाल ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति का मालिक व स्वामी जर्ये वसियत नामा वादीगण व विजय कुमार के पक्ष में विधिवत लिखवा दिया है। जो इस पत्रावली में संलग्न है। उसी के मुताबिक उक्त भूमि वैध उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त भूमि 30–40 वर्ष से कब्जे में वादीगण के होने से खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। पूर्व निर्णय दिनांक 08.04.1975 के मुताबिक केसरीलाल बनाम राजस्थान सरकार सहायक समाकर्ता कार्यपालक दण्डनायक बारां द्वारा बईजलास पीठासीन अधिकारी पुरूषोत्तम शर्मा उक्त भूमियां केसरीलाल के नाम दर्ज करने का आदेश बाबत निर्णय पारित कर रखा है। इसी के मुताबिक उक्त भूमियां केसरी लाल का स्वर्गवास होने के कारण खातेदारी अधिकारी दिया जाना आवश्यक है जिसका वादीगण अधिकारी व नालिसी है, जिस वास्ते वादीगण ने राजस्थान सरकार के वैध प्रतिनिधि को धारा 80 नोटिस जाप्ता दिवानी 19.07.2014 को जारी करवाकर उनसे सहायता की अपील की। लेकिन उन्होने सहायता नही करने के कारण उक्त भूमियां गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया।

अतः वादी का वाद ग्राम जलोदा तेजाजी तह0 मांगरोल में स्थित भूमियां खाता संख्या नया 278 पुराना 253 की खसरा नं0 513 की 0.4 है0, खसरा नं0 514 की 0.7 है0 515 की 0.5 है0 कुल किता 3

...का 0.16 है0 भूमियां केसरीलाल के मृत्यु उपरांत मुताबिक वारिसान निर्णय दिनांक 28.04.1975 न्यायालय ...सीएम बारां व वसीयत नामा वादीगण के पक्ष में होने के कारण मुताबिक कानूनन केसरीलाल के नाम के स्थान पर प्रतिवादी को आदेश प्रसारित किया जावे कि उक्त भूमियां केसरीलाल के स्थान पर वादीगण केलाश चन्द्र, पदम कुमार व विजय कुमार के नाम इंतकाल खोलकर खातेदारी दर्ज की जायें।

उक्त आशय क वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार मांगरोल द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। तथा पत्रावली के अवलोकन से तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से तथा हाल जमाबंदी सम्वत 2069–72 ग्राम जलोदा तेजाजी खाता संख्या 278 कुल 3 किता 0.16 है0 केसरीलाल पुत्र घांसीलाल जाति जैन के नाम गैर खातेदार दर्ज होना प्रमाणित है तथा वसीयत नामा के मुताबिक तथा निर्णय दिनांक 28.04.1975 के मुताबिक उक्त भूमियां वादीगण के नाम दर्ज किये जाने में पूर्णतया विधि के प्रावधानो के तहत किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जलोदा तेजाजी तह0 मांगरोल में स्थित गै0 खातेदारी में दर्ज केसरीलाल पुत्र घांसीलाल के नाम दर्ज भूमियां मृत्यु होने के बाद मुताबिक वारिसान हाल खसरा नं0 513 की 0.4 है0, खसरा नं0 514 की 0.7 है0 515 की 0.5 है0 कुल किता 3 रकबा 0.16 है0 भूमियां वादीगण कैलाश चन्द्र पुत्र केसरीलाल, पदम चंद पुत्र केसरीलाल उर्फ विजय कुमार पुत्र केसरीलाल के नाम हाल राजस्व रेकार्ड में केसरीलाल पुत्र घांसी लाल का नाम हजफ किया जाता है। तथा उनके स्थान पर वादीगण कैलाश चन्द्र, पदम कुमार उर्फ विजय कुमार पुत्र केसरीलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाकर खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को सरेइजलास मजमें आम में सुनाया गय